कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 67

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		34.00	82.01	116.01	24.40	82.82	107.22	41.09	107.05	148.14
पूंजी		*...*	*9.00*	*9.00*	*0.60*	*9.00*	*9.60*	*1.15*	*9.00*	*10.15*
जोड़		**34.00**	**91.01**	**125.01**	**25.00**	**91.82**	**116.82**	**42.24**	**116.05**	**158.29**
1. सचिवालय–सामान्य सेवाएं	2052	7.60	24.33	31.93	6.04	24.68	30.72	9.25	28.57	37.82
2. न्याय प्रशासन	2014	...	21.39	21.39	0.49	21.36	21.85	3.50	22.20	25.70
3. कर्मचारी चयन आयोग	2051	...	17.20	17.20	...	17.27	17.27	...	18.18	18.18
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
4. प्रशिक्षण	2070	26.40	13.07	39.47	17.87	12.77	30.64	28.34	31.51	59.85
	4059	...	...	...	0.60	...	0.60	1.15	...	1.15
	जोड़	*26.40*	*13.07*	*39.47*	*18.47*	*12.77*	*31.24*	*29.49*	*31.51*	*61.00*
5. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	7601	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00
6. अन्य मदें	2070	...	6.02	6.02	...	6.74	6.74	...	6.59	6.59
कुल जोड़		***34.00***	***91.01***	***125.01***	***25.00***	***91.82***	***116.82***	***42.24***	***116.05***	***158.29***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	7.60	...	7.60	6.04	...	6.04	9.25	...	9.25
2. न्याय प्रशासन	32014	...	...	...	0.49	...	0.49	3.50	...	3.50
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	26.40	...	26.40	18.47	...	18.47	29.49	...	29.49
	जोड़	*34.00*	*...*	*34.00*	*25.00*	*...*	*25.00*	*42.24*	*...*	*42.24*

1. इसमें निम्नलिखित के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग जो वरिष्ठ तथा मध्य प्रबन्ध स्तर के लिए भर्ती, पदोन्नति तथा आरक्षण नीति बनाने, अधिष्ठान प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करने, सेवा शर्तों, सतर्कता, अनुशासन, वृत्तिका तथा जनशक्ति आयोजना आदि के कार्यों को देखता है (ख) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग जो प्रशासनिक सुधार, संगठन और पद्धति और नीति बनाने, केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों से संबंधित शिकायतों समेत लोक शिकायतों के निवारण का समन्वय कार्य करता है। (ग) पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले उपदान, पेंशन, आनुषंगिक लाभों आदि समेत सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है और (घ) न्यायमूर्ति एस.एन.फूकन जाँच आयोग।

2. इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के स्थापना संबद्ध व्ययों के लिए व्यवस्था है जिनकी स्थापना का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करना है ताकि उनकी शिकायतों को दूर करने में देरी न हो। इस व्यवस्था में इन अधिकरणों द्वारा किराए पर ली गई इमारतों के किराए की राशि भी शामिल है।

3. इसमें कर्मचारी चयन आयोग के लिए व्यवस्था है जो मंत्रालयों आदि में निचले वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।

4. इसमें (क) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान; (ख) लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी; (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान; तथा (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीय रूप में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण देने के लिए व्यवस्था की जाती है ।

6. इसके अर्न्तगत केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के खर्च के लिए व्यवस्था शामिल है।